



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 9 नवम्बर, 2021

कार्तिक 18, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 8/2021/1175/94-स्टा०नि०-2-2021-700(34)-2021

लखनऊ, 9 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-396

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3188/आठ-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05 दिसम्बर 2013 के अधीन विकासकर्ता द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) हेतु निर्मित भवन के अन्तर्ण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर रुपये पाँच सौ से अधिक के स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

2-इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी अनुमन्य होगी जबकि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विहित प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि पूर्वोक्त शासनादेश संख्या 3188/आठ-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु निर्मित भवन के अन्तर्ण विलेख का निष्पादन किया जा रहा है।

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.8 /2021/1175/94-S. R.-2-2021-700(34)-2021, dated November 9, 2021.

No. 8/2021/1175/94-S. R.-2-2021-700(34)-2021

*Dated Lucknow, November 9, 2021*

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification, stamp duty in excess of rupees 500/- on the instrument executed by the developer in favour of beneficiary for transfer of E.W.S. house built by developer under G.O. no. 3188/eight-1-13-80 vividh-2010 dated December 5, 2013 of Aawaas evam Shahri Niyojan Anubhag-1.

2. The remission under this notification shall be available if officer nominated by the Housing Commissioner, Uttar Pradesh, Housing and Development Board/Vice Chairman, Development Authority/C.E.O. Special Area Development Authority/Prescribed Authority, Regulated Area, Uttar Pradesh shall sign such instrument as witness for the purpose of conforming the fact that the transfer deed of E.W.S. house built under the aforesaid G.O. no. 3188/eight-1-13-80 vividh-2010 dated December 5, 2013 is being executed.

By order,

VEENA KUMARI,

*Pramukh Sachiv.*